



राजस्थान सरकार

राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग

हैण्डलूम हवेली, अशोक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

वेबसाईट : rscdrc.food.rajasthan.gov.in, मेल आई.डी. raj-sforum@nic.in, दूरभाष 0141-2372237

क्रमांक:—एफ 19/सा.प्र./रा.आ./1659


दिनांक: 01.06.2021

आदेश

कोरोना (Covid-19) की दूसरी लहर को प्रभावी रूप से नियन्त्रित करने हेतु गृह (ग्रुप-7) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के द्वारा पूर्व में जारी आदेश दिनांक 30.04.2021 एवं दिनांक 06.05.2021 की निरन्तरता में आदेश क्रमांक प.7(1)गृह-7/2021 दिनांक 23.05.2021 द्वारा दिनांक 24.05.2021 सोमवार प्रातः 5:00 बजे से दिनांक 08.06.2021 मंगलवार प्रातः 5:00 बजे तक की अवधि के लिए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन घोषित किया जाकर उक्त आदेश में सभी कार्यस्थल (work place) को बन्द रखने का आदेश दिया गया था। गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7 (1) गृह-7/2021 दिनांक 31.05.2021 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 23.05.2021 द्वारा जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन के सम्बन्ध में मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त आदेश दिनांक 02.06.2021 बुधवार प्रातः 5:00 बजे से प्रभावी होगा।

निर्देशानुसार, उक्त आदेश दिनांक 31.05.2021 के अनुक्रम में इस कार्यालय के पूर्व में जारी आदेश दिनांक 19.04.2021, दिनांक 20.04.2021, दिनांक 02.05.2021 दिनांक 10.05.2021 एवं दिनांक 24.05.2021 की निरन्तरता में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं कि :-

- 1 राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर, सर्किट बैंच—जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा तथा समस्त अधीनस्थ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, के कार्यालय दिनांक 02.06.2021 (बुधवार) से 25 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ प्रातः 9:30 बजे से सायंकाल 4:00 बजे तक एवं दिनांक 07.06.2021 (सोमवार) से 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति के साथ अनुमत होंगे व नियमानुसार कार्य निष्पादन करेंगे।
- 2 केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी गाइडलाइन की पालना भी सुनिश्चित की जायेगी।



(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार

क्रमांक:—एफ 19/सा.प्र./रा.आ./1660-1671

दिनांक: 01.06.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सहायक, माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 2 माननीय न्यायिक सदस्य/गैर न्यायिक सदस्य, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 3 निजी सहायक, रजिस्ट्रार, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 4 प्रभारी अधिकारी, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सर्किट बैंच, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर एवं कोटा (जरिये ईमेल से)।
- 5 उप पंजीयक, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 6 समस्त, अध्यक्ष व सदस्यगण जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, राजस्थान को पालनार्थ (जरिये ईमेल से)।
- 7 अध्यक्ष, बार एसोसियेशन, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर एवं समस्त अध्यक्ष, जिला बार एसोसियेशन, राजस्थान को जरिये सम्बन्धित जिला आयोग अध्यक्ष के माध्यम से (जरिये ईमेल से)।
- 8 प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 9 प्रभारी, संस्थापन शाखा, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 10 कौजलिस्ट शाखा/न्यायिक शाखा राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 11 नोटिस बोर्ड, राजस्थान राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जयपुर।
- 12 रक्षित पत्रावली।


(अनीश दाधीच)
रजिस्ट्रार